न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 110/2017/223 आरटीए

सुमित्रा पत्नि स्व. ताराचंद पुत्र कुम्भाराम पुत्री मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

————अपीलान्ट

बनाम

1. गीतादेवी पुत्री कुम्भाराम पत्नि दलीप जाति मेघवंशी निवासी माधोसिंगाना तहसील व जिला सिरसा हाल आबाद पदमपुरा लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. छिन्द्रो देवी पुत्री कुम्भाराम पत्नि धर्मपाल जाति मेघवंशी निवासी खाई शेरगढ़ तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. मन्दरो देवी पुत्री कुम्भाराम पत्नि सुभाष जाति मेघवंशी निवासी खाई शेरगढ़ तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.02.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 198/2016 अनवानी गीतादेवी बनाम सन्तोदेवी आदि

उपस्थितः–

श्रीमति सुनिता वर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री दलीप सारस्वत अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 2 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 109/93 मे कुल 1.518 है0 मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज है जो विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि मे वादिया के भाई ताराचंद के नाम से भी बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज है जिसका स्वर्गवास कुंवारा रहते हुए हो चुका है। जिसकी एक मात्र वारिस माता प्रतिवादी सं. 1 है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने स्वयं के नाम से दर्ज विरासतन हक का त्याग वादिया के पक्ष मे कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी स्वयं के नाम की एवं ताराचंद के नाम की भूमि का त्याग वादिया के पक्ष मे कर दिया है। इस प्रकार वादिया उक्त वर्णित भूमि मे 5/6 हिस्सा की घोषणा अपने नाम करवाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग नही किया और ना ही राजीनामा को सही तरीके से तस्दीक किया गया है क्योंकि दिनांक 20.01.2017

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

को राजीनामा प्रस्तुत होने का कथन किया गया है जबकि दिनांक 20.01.2017 से पूर्व नवम्बर माह 2016 मे प्रतिवादी सं. 1 संतोदेवी की मृत्यु हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2017 को निर्णय पारित किया जाना अंकित है व डिक्री दिनांक 25.01.2017 को जारी किया जाना अंकित किया है जिससे साबित है कि समस्त कार्यवाही संदेहास्पद व निर्णय व डिक्री जल्दबाजी मे की गई है। अपीलांट मृतक ताराचंद की पत्नि है जिसका मृतक ताराचंद के नाम की भूमि मे हक व हिस्सा कानूनन बनता है लेकिन वादिया/रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट को उसके वैद्य हक व हिस्सा से वंचित करने के आशय से जानबूझकर वादपत्र मे पक्षकार नही गया। अपीलांट के पूर्व पति आदराम का अपने पिता कुम्भाराम के नाम की भूमि विरासतन हक व हिस्सा था। आदराम की मृत्यु होने के बाद अपीलांट ने आदराम के भाई ताराचंद की चुड़ी पहन ली और ताराचंद की भी मृत्यु हो गई व आदराम के नुत्फा से अपीलांट के तीन संतान भी है जिसका ज्ञान रेस्पो0 सं. 1 को भलीभांति से था। लेकिन रेस्पो0 सं. 1 ने जानबूझकर अपीलांट व आदराम के वारिसान को वाद मे पक्षकार नही बनाया जो वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार थे। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के हित प्रभावित हुये है इसलिये अपीलांट अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थी इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। दिनांक 11.04.17 को रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट को कहा कि चक 2 एलएलडब्ल्यू मे स्थित समस्त भूमि अपने नाम करवा ली है। इसके पश्चात अपीलांट ने तहसील संगरिया मे जाकर पता किया तो पता चला कि रेस्पो0 सं. 1 ने वादपत्र प्रस्तुत कर बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे ताराचंद की मृत्यु के पश्चात आवश्यक पक्षकार थी, लेकिन इन कथनो के संबंध मे अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है और ना अपीलांट ताराचंद की विधिक वारिस है। वस्तुतः अपीलांट सुमित्रा देवी आदराम पुत्र कुम्भाराम की पत्नि थी व ताराचंद अविवाहित ही फौत हुआ था तथा सुमित्रा अपीलांट अपने पति आदराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्सा की भूमि मे अपना हिस्सा प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा ताराचंद की मृत्यु के बाद अपीलांट ने न तो ताराचंद का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया है एवं ना ही वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया है और ना ही ताराचंद की आराजी को उसकी मृत्यु के बाद आज तक अपने नाम

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट ताराचंद की वारिस नही है। इसलिये अपीलांट ताराचंद के हक हिस्से की भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही रखती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे अपीलांट आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार नही थी। इसलिये अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के आधार पर ही खारिज होने के योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद मे कुम्भाराम के अन्य वारिसान/उत्तराधिकारीगण द्वारा वाद भूमि के संबंध मे अपने हक हिस्से का त्याग रेस्पो0 के पक्ष मे कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजीनामा के आधार पर दावा स्वीकार कर डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मे 5/6 हिस्सा की घोषणा अपने नाम करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया। वादग्रस्त भूमि चक 2 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 109/93 मे सन्तोदेवी पत्नि कुम्भाराम, आदराम, ताराचंद पि0 कुम्भाराम, छिन्दरोदेवी, मन्दरोदेवी, गीतादेवी पुत्रियां कुम्भाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। यह तथ्य सही है कि अपीलांट सुमित्रा स्व. आदराम की पत्नि है। आदराम के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा रेस्पो0 सं. 1 के नाम भी 1/6 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट के पूर्व पति आदराम की मृत्यु होने के बाद अपीलांट ने ताराचंद की चुडी पहन ली थी और उसके बाद ताराचंद की मृत्यु हो गई तथा ताराचंद की विधिक वारिस अपीलांट ही है। इसलिये रेस्पो0 सं. 1 ताराचंद के नाम दर्ज भूमि की घोषणा रेस्पो0 सं. 1 अपने नाम नही करवा सकती है। हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये सांझे खाते मे दर्ज भूमि के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया। जबकि वादग्रस्त जो मुश्तरका खाते मे दर्ज है जिसमे अपीलांट के पति आदराम का भी

हिस्सा दर्ज है तथा आदराम की मृत्यु हो चुकी है, आदराम की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान/उत्तराधिकारीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही हो सका। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2017 व डिक्री दिनांक 25.01.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official